प्रशासन गावों के संग अभियान–2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 136/2020

मोहनलाल पुत्र श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी कुण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री मनोज कुमार आर्य

दायरा दिनांकः 03.12.2020 — निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 54 खसरा नं0 193 रकबा 0.24 है0 वो ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल, खाता संख्या 472 खसरा नं0 11 रकबा 3.04 है0, खसरा नं0 12 रकबा 3.72 है0, खसरा नं0 14 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 7/2160 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 रकबा 7.50 है0 ग्राम रायथल व खाता संख्या 83 खसरा नं0 120 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 190 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 74 रकबा 1.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 ग्राम कुश्या में स्थित है जिनमें वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में शामलाती रूप से दर्ज है तथा उक्त वर्णित आराजियात में वादी के पिता का नाम कल्याण दर्ज हो रहा है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व अन्य दस्तावेजो में वादी के पिता का नाम रामकल्याण दर्ज हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः आराजी खाता संख्या 54 खसरा नं0 193 रकबा 0.24 है0 वो ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल, खाता संख्या 472 खसरा नं0 11 रकबा 3.04 है0, खसरा नं0 12 रकबा 3.72 है0, खसरा नं0 14 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 7/2160 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 रकबा 7.50 है0 ग्राम रायथल व खाता संख्या 83 खसरा नं0 120 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 190 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 74 रकबा 1.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 ग्राम कुश्या तहसील मांगरोल में वादी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.12.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/663 दिनांक 16.12.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम कुश्या खाता संख्या 83 जमाबंदी सम्वत 2074–77 व ग्राम कूण्डला खाता संख्या 54 में मोहनलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी कुण्डला पर सही नाम मोहनलाल पुत्र रामकल्याण का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो आधार पर आराजी खाता संख्या 54 खसरा नं0 193 रकबा 0.24 है0 वो ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल, खाता संख्या 472 खसरा नं0 11 रकबा 3.04 है0, खसरा नं0 12 रकबा 3.72 है0, खसरा नं0 14 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 7/2160 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 रकबा 7.50 है0 ग्राम रायथल व खाता संख्या 83 खसरा नं0 120 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 190 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 74 रकबा 1.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 ग्राम कुश्या में दर्ज वादी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादी के पिता के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner